



2026:AHC:174311

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 16449/2026

अतुल तथा 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनीता सिंह, स्नेह मधुर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: दिनेश कुमार मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनीता सिंह, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि आपराधिक वाद संख्या 986/2020 (राज्य बनाम अतुल तथा अन्य) (मुकदमा अपराध संख्या 174/2019 से उद्भूत), भा.द.सं. की धारा 323, 324, 504, 506 के अंतर्गत (थाना-निबोहरा, जिला-आगरा), जो आवेदकगण के विरुद्ध विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद, आगरा के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों को समझौते के आधार पर निरस्त किया जाए तथा उक्त आपराधिक वाद की आगे की कार्यवाही को स्थगित किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने दिनांक 16.06.2025 के समझौते के माध्यम से अपने विवाद का परिनिर्धारण कर लिया है, जो वर्तमान आवेदन के साथ संलग्नक संख्या '1' के रूप में रखा गया है। उक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौते का सम्यक् सत्यापन किया गया है तथा विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद, आगरा द्वारा दिनांक 08.06.2026 को आख्या अग्रेषित की गई।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान विवाद आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 के मध्य उद्भूत होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से परिनिर्धारण किया है और यह किसी दबाव, धमकी या प्रपीड़न के अंतर्गत नहीं है तथा वे संबंधित न्यायालय में लंबित वाद को बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और, अतः, आक्षेपित कार्यवाहियों को पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर खारिज किया जाए तथा वे प्रतिशपथ-पत्र और प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हैं तथा कहते हैं कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही खारिज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।

7. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी वाद को खारिज करने के संबंध में विधि सुस्थापित है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** में अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि *“किंतु जो आपराधिक वाद अत्यधिक और प्रमुखतः सिविल स्वरूप के हैं, वे अभिखंडन के प्रयोजनों के लिए भिन्न आधार पर खड़े हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक वादों से उद्भूत अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां क्षति मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के वादों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण है तथा आपराधिक वाद की निरंतरता अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डालेगी तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण परिनिर्धारण एवं समझौते के होते हुए भी आपराधिक वाद को खारिज न करने से उसके साथ नितांत अन्याय होगा।”*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 में अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर प्रतिपादित किए हैं कि “अशमनीय वादों में भी, समझौते के आधार पर, आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज किया जा सकता है, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और अन्य सारवान् वादों में उपयोग किया जा सके।”

10. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों के अवलोकन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि से, वर्तमान वाद न्यायालय द्वारा समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज करने की शक्ति के प्रयोग हेतु एक उचित वाद है।

11. विवाद का पक्षकारों के मध्य उनकी संपूर्ण संतुष्टि तक परस्पर निपटारा हो गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर निरस्त करने हेतु वर्तमान आवेदन उन मापदंडों के भीतर आता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 में प्रतिपादित किए गए हैं।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 986/2020 (राज्य बनाम अतुल तथा अन्य) (मुकदमा अपराध संख्या 174/2019 से उद्भूत), भा.द.सं. की धारा 323, 324, 504, 506 के अंतर्गत (थाना-निबोहरा, जिला-आगरा), की संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा निरस्त की जाती हैं।

14. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, तदनुसार, स्वीकार किया जाता है।

18 अगस्त, 2026

शिवानी श्री

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)